मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल – 462016

फोनः 0755- 2463585, 2430154, **फैक्सः–** 4004137

ई मेलः– secretary@mperc.nic.in **वैबसाईटः–** www.mperc.in

क्रमांक मप्रविनिआ/संचा. (विप्र.)/2024/1672 **दिनांक : 08/07/2024**

: सार्वजनिक सूचना :

विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (द), (ध) (यत) एवं सहपठित धारा 42 की उपधारा (5), (6) एवं (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 आरजी–3 (II), वर्ष 2021 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त संशोधित विनियम का प्रारूप आयोग की वेबसाईट www.mperc.in पर उपलब्ध है।

वे व्यक्ति, जो उक्त विनियम के प्रारूप पर अपने सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत करना चाहें, लिखित में आयोग सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को दिनांक **30.07.2024** तक प्रेषित कर सकते हैं। सुझाव/आपत्तियॉ/टीप ई–मेल secretary@mperc.nic.in & Director (RE) sanjaykbaghel@gmail.com पर या फैक्स क्रं. 0755–4004137 पर भी प्रेषित किये जा सकते है। उपरोक्त प्रस्तावित विनियम के प्रारूप की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस को, दिनांक **30.07.2024** तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य आयोग कार्यालय से रू. 50/–(प्रति सेट) के नगद भुगतान द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान द्वारा प्राप्त की जा सकती है यह प्रति डाक द्वारा रू. 85/– (रू.50/– प्रति सेट + रू. 35/–डाक व्यय हेतु) का भुगतान करने पर भी प्राप्त की जा सकती है।

आयोग द्वारा दिनांक **06.08.2024** को प्रातः **11:00** बजे विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं वे अपने मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. की सूचना आयोग सचिव को ई–मेल secretary@mperc.nic.in पर देकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव